न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 13/2020

प्रार्थी–
बाबूलाल उर्फ बाबूसिंह पुत्र गोकलसिंह जाति राणा राजपूत निवासी सरनू भीमजी तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–
1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र बाबूलाल उर्फ बाबूसिंह पुत्र गोकलसिंह जाति राणा राजपूत निवासी सरणू भीमजी तहसील व जिला बाड़मेर
2. सरपंच, ग्राम पंचायत सरनू पनजी पंचायत समिति बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 63 दिनांक 20.05.2017 जो ग्राम पंचायत सरनू पनजी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री छैलसिंह, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री श्रवण कुमार चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 14/2020

प्रार्थी–
बाबूलाल उर्फ बाबूसिंह पुत्र गोकलसिंह जाति राणा राजपूत निवासी सरनू भीमजी तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–
1. श्रवणसिंह पुत्र बाबूलाल उर्फ बाबूसिंह जाति राणा राजपूत निवासी सरनू भीमजी तहसील व जिला बाड़मेर
2. सरपंच, ग्राम पंचायत सरनू पनजी पंचायत समिति बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या [illegible] दिनांक 20.05.2017 जो ग्राम पंचायत सरनू पनजी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:34:47 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–
1. श्री छैलसिंह, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं 1 व 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय

दिनांक : 13.01.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह दोनो निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत सरनू पनजी की ओर से अप्रार्थीगण सुरेन्द्रसिंह व श्रवणसिंह के पक्ष में जारी पट्टा सं. 63 व 64 दिनांक 20.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने पर समान पक्षकार एवं एक ही विषयवस्तु होने से उक्त दोनो निगरानी प्रार्थना पत्रों को एक संयुक्त निर्णय द्वारा निर्णीत किया जा रहा हैं तथा निर्णय की एक–एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावें।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत सरनू पनजी द्वारा अप्रार्थीगण सुरेन्द्रसिंह व श्रवणसिंह के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के अधीन ग्राम सरनू मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के विक्रय विलेख सं. 63 व 64 दिनांक 20.05.2017 जारी किये गए। इन भूखण्डों का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार क्रमशः 237.22 एवं 237.22 वर्गगज दर्शाया गया है। उक्त पट्टे ग्राम पंचायत सरनू द्वारा बिना संकल्प लिये एवं नियमानुसार कार्यवाही किये जारी करने मे घोर अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाने को आधार मानते हुए प्रार्थीगण ने उक्त पट्टों की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह दोनो निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:34:47 IST
Reason: SelfAttested

3. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस [illegible] किया गया एवं ग्राम पंचायत सरनू पनजी का प्रश्नगत अभिलेख मंगवाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम सरनू पनजी में प्रार्थी के स्वामित्व एवं रहवास का एक भूखण्ड आया हुआ है

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

जिसकी उत्तर की भुजा 56 फीट, दक्षिण की भुजा 66 फीट, पूर्व की भुजा 70 फीट व पश्चिम की भुजा 70 फीट हैं। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का मकान एवं रहवास हैं इसके उत्तर में आबादी भूमि, दक्षिण में आबादी भूमि एवं मुख्य सड़क, पूर्व में मानाराम वल्द बलुराम, पश्चिम में आबादी भूमि आई हुई हैं। प्रार्थी के उक्त मकान में अपनी सुविधाओं के लिए विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है तथा प्रार्थी के परिवार का राशन कार्ड भी बना हुआ हैं। प्रार्थी ने अपने भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु दिनांक 06.02.1983 को ग्राम पंचायत में राशि जमा कराई थी जिसकी रसीद बतौर सबूत प्रस्तुत हैं। अप्रार्थीगण सुरेन्द्रसिंह व श्रवणसिंह ने प्रार्थी की जानकारी में लाये बिना ही सरपंच ग्राम पंचायत से मिलकर भूखण्ड को दो भाग में मौखिक रूप से बताकर आलौच्य पट्टा सं. 63 व 64 प्राप्त कर लिये जिसकी जानकारी प्रार्थी को तब हुई जब सात दिवस पूर्व अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को भूखण्ड से बेदखल करने का प्रयास किया गया। इस पर प्रार्थी द्वारा आलौच्य पट्टों से सम्बन्धित दस्तावेजों की नकलें प्राप्त कर यह दोनो निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये हैं। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की ओर से किसी भी व्यक्ति के विश्वसनीय अधिकार के आधार पर पट्टा जारी किया जा सकता हैं किन्तु आलौच्य पट्टे जारी करने में अप्रार्थीगण की ओर से भूमि के स्वत्व के बारे में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। प्रार्थी एकमात्र स्वामित्व हितधारी था जिसे सुनवाई का अवसर दिये बिना आलौच्य पट्टे जारी किये गये हैं जो खारिज योग्य हैं। प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में यथा प्राविधित किसी भी प्रावधान का पालन नहीं किया गया हैं, ऐसे [illegible] अनियमित एवं अवैध होने से खारिज योग्य हैं। ग्राम [illegible] 1 के पक्ष में आलौच्य पट्टा विलेख नियम 1 [illegible] गृहों के विनियमितीकरण के अन्तर्गत जारी किये गये हैं जिसमें आवे[illegible] स्थल पर कम से कम 50 वर्षों

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:34:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

से अधिक पुराना सनिर्मित कब्जा हों, किन्तु विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी का रहवासी मकान अवस्थित हैं। ऐसे में आनन–फानन में कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर नियमों के विपरित जाकर जो आलौच्य पट्टे जारी किये गये है, वह खारिज योग्य है, लिहाजा प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आलौच्य दोनो पट्टा विलेख खारिज फरमाये जावें।

5. अप्रार्थी सुरन्द्रसिंह के योग्य अधिवक्ता ने जवाब में प्रकट किया कि अप्रार्थी के पुराने रहवासीय कब्जे के भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु नियमानुसार आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत सरनू पनजी द्वारा समस्त प्रक्रिया नियमानुसार अपनाते हुए पट्टा सं. 63 जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता, अवैधता एवं अपूर्णता नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र सारहीन एव आधारहीन होने से मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावें।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत सरनू पनजी का आलौच्य अभिलेख अवलोकन करने से यह पाया जाता हैं कि पट्टा प्राप्त करने हेतु अप्रार्थीगण सुरेन्द्रसिंह व श्रवणसिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्रों के संलग्न दस्तावेजों अनुसार उनकी आयु क्रमशः 22 वर्ष एवं 27 वर्ष थी, ऐसे में उनका विवादित भूमि पर 50 वर्ष पुराना कब्जा होना कतई मानने योग्य नहीं हैं, इसके विपरित प्रार्थी ने इन निगरानी प्रार्थना–पत्रों के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का रहवास है तथा बिजली का कनेक्शन भी ले रखा है, साथ ही वर्ष 1983 में पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत के कोष में शुल्क भी जमा करवाया गया हैं। अप्रार्थी सं. 1 सुरेन्द्रसिंह व श्रवणसिंह द्वारा विवादित भूखण्ड [illegible] कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत [illegible] साक्ष्य के रूप में स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर द[illegible] प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा अवैध रूप से बिना स्वामित्व अधिकारों की जांच [illegible]ये आलौच्य पट्टा विलेख जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:34:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

किये गये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस प्रकाशित किया हैं उस पर किसी भी मौतबिरान के हस्ताक्षर नहीं है, इससे जाहिर हैं कि यह नोटिस विधिवत रूप से प्रकाशित नहीं किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत की यह कार्यवाही अनियमित एवं अपूर्ण हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों अनुसार विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी का पुराना कब्जा होना प्रतीत होता है, जिसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने से आलौच्य कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से भी निरस्त योग्य हैं। इस प्रकार हस्तगत दोनो ही निगरानी प्रार्थना–पत्रों में आलौच्य पट्टा सं. 63 व 64 अधिनियम की धारा 97 के तहत उक्त पट्टों की वैधता, नियमितता एवं पूर्णता की पहलु पर जांच उपरांत खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दोनो निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर अप्रार्थी सं. 2 ग्राम पंचायत सरनू पनजी द्वारा अप्रार्थी सुरेन्द्रसिंह के पक्ष में जारी पट्टा सं. 63 दिनांक 20.05.2017 एवं अप्रार्थी श्रवणसिंह के पक्ष में जारी पट्टा सं. 64 दिनांक 20.05.2017 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत सरनू पनजी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते हैं कि विवादित भूखण्ड के कब्जे एवं स्वामित्व के संबंध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से प्रकरणों का निस्तारण करें।

8. निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:34:47 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर